خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی لکھنؤ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

(U.P. State Government University)

(Recognised U/S 2(f) & 12(B) of the UGC Act 1956 & B.Tech. approved by AICTE)

संख्या : 172 / उ.अ.फा.वि.वि. / कुसका / 2020 / 463 / 18
दिनांक : 12 फरवरी, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–334 / सत्तर–3–2020–08(07) / 2020, दिनांक 03 फरवरी, 2020 द्वारा राज्य के विद्यार्थियों एवं नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया का समाज / देशहित में सुरक्षित व सकारात्मक उपयोग किये जाने हेतु निम्नवत् उपाय / दिशा निर्देश दिये गये हैं:–

1. **सम्मान रखें** : अपने दशकों और सहयोगियों का सम्मान रखें। ध्यान रखें कि ऐसा कोई आचरण न करें, जो किसी समुदाय / नागरिक / व्यक्ति / संगठन / सरकार को स्वीकार्य न हो।
2. **जवाबदेही** : सभी पोस्ट / टिप्पणी का तत्काल जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी प्रतिक्रिया आवश्यक है, आपकी पोस्ट सीमित और प्रकरण से सम्बन्धित हो।
3. **प्रभाव** : फर्जी खबरों से प्रभावित न हों। प्रोपेगण्डा से बचें। ऐसे अग्रसारित संदेशों / पोस्ट के भेजने / पुनः पोस्ट करने से दूर रहें, जो दुर्भावनापूर्ण हैं और प्रामाणिक नहीं है।
4. **सही तथ्य रखें** : सुनिश्चित करें कि आप सही एवं सटीक जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप किसी समुदाय / नागरिक / व्यक्ति / संगठन / सरकार को गलत तरीके से पेश न कर रहे हों।
5. **अपने सर्वोत्तम विवेक का उपयोग करें** : याद रखें कि आप जो कुछ भी पोस्ट करते हैं, उसके परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अतः अपनी सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करें। यदि आप ऐसा कुछ पोस्ट करने वाले हैं, जो आपको थोड़ा सा भी असहज करता हो, तो इस बारे में पुनर्विचार करें कि क्या सामग्री पोस्ट की जाय अथवा नहीं।
6. **पहचान** : हमेशा स्पष्ट रूप से पहचानें कि आप कौन है तथा समाज / संस्था में आपकी क्या भूमिका है तथा प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रकाशित करें। जहाँ आवश्यकता हो, डिस्क्लेमर का उपयोग करें।
7. **प्राधिकार** : जब तक कि आप ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न हो, विशेषकर विचाराधीन, कानूनी मसौदों अथवा अन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों में टिप्पणी और प्रतिक्रिया न दें।
8. **प्रासंगिकता** : अपने क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों पर तथा प्रासंगिक और उचित टिप्पणियाँ करें यह सम्भावना को रचनात्मक बना देगा और एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायक होगा।
9. **व्यावसायिक कुशलता** : विनम्र रहे, सभी के प्रति सम्मान रखें तथा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति अथवा उसके विरूद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। साथ ही व्यवसायिक चर्चा की राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

10. **खुलापन** : सकारात्मक हों अथवा नकारात्मक टिप्पणियों के विरूद्ध खुलापन रखें। प्रत्येक टिप्पणी का जवाब देना आवश्यक नहीं है।
11. **अनुपालन** : प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करें। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, दूसरों के कापीराइट्स का उल्लंघन न करें।
12. **निजता** : अन्य व्यक्तियों के बारे में निजी जानकारी को प्रकट न करें, साथ ही अपने निजी और व्यक्तिगत विवरण को प्रकाशित न करें, जब तक कि आप उन्हें दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सार्वजनिक न करें।
13. **सुरक्षा** : अपनी यूज़र आई0डी0 और पासवर्ड किसी को भी न बतायें। उच्च सुरक्षा पासवर्ड (अल्फा न्यूमरिक वर्णों के मिश्रण का उपयोग करके) अपने खाते को सुरक्षित रखें।
14. **सोशल मीडिया संरक्षा** : किसी भी दुर्भावनापूर्ण साइबर हमले अथवा साइबर सुरक्षा उल्लंघन के मामले में सोशल मीडिया एजेन्सी को सूचित करें और किसी कानूनी दुष्परिणाम से बचने के लिए अभिलिखित रूप में रखे।
15. **कन्टेन्ट गवर्नेन्स** : सोशल मीडिया पर प्रकाशित/पोस्ट की गई सामग्री बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है, अतः ऐसी सामग्री जो दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करती है, उसे पोस्ट करने से किसी भी कीमत पर बचना चाहिए।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी छात्र/छात्रायें, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपर्युक्त उपाय/दिशा–निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन/अनुपालन करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. उप कुलसचिव।
6. कुलशानुशासक।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विषय प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य एवं समस्त अतिथि व्याख्याता।
9. समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी।
10. सम्बन्धित पत्रावली।
11. नोटिस बोर्ड हेतु
12. वेबमास्टर, वेबसाइट पर अपलोड हेतु

कुलसचिव।

Scanned by CamScanner